



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-1252-कार्य/चौदह-पाकालि/2018-8(8)-के/2018

दिनांक 07 जून, 2018

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।

केरको, कानपुर।

विषय : मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि0), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज (प्रो0 डी0एस0 मिश्रा) को व्यापार निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि0), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं0-658 / मु0अ0जा0क्षे0(वि0) / वा0 / मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज दि0 26.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि0), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी ने मे0 सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस0एच0, 8/4-15ए रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी के (प्रो0 डी0एस0 मिश्रा) को व्यापार निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये हैं।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(आर0के0 श्रीवास्तव)  
उप सचिव (कार्य)

संख्या-1252-(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि0), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युतनगर, पोस्ट-डी0एल0डब्ल्यू0 वाराणसी को उनके पत्र सं0-658 / मु0अ0जा0क्षे0(वि0) / वा0 / मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज दि0 26.04.2018 के सन्दर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता, (कम्प्यूटराइजेशन), कक्ष संख्या-407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-[www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरि।

(आर0के0 श्रीवास्तव)  
उप सचिव (कार्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी-781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बडोदा-390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरुवनन्तपुरम-695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन०पी०के०पी०आ०, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002,
5. सचिव, हिमांचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच०पी०)-171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्वत नगर, जबलपुर-432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलौंग-793001,
9. अध्यक्ष, झाडखण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच०झ०सी० धुर्वा, राँची-834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता-700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होलिंग क० लि०, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर-492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि०, विद्युत सौधा, हैदराबाद-500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, हैदराबाद-500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि०, शक्ति भवन, सेक्टर-06, पंचकुला, हरियाणा-134109,
15. अध्यक्ष, ७० दिल्ली पावर लि०, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग, हरसनं लाइन, किंगस् वे कैम्प, नई दिल्ली-110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसमिशन लि०, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली-110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि०, भुवनेश्वर-751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जनरेशन कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, ८२-रेस कोस रोड, बैंगलौर-500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जनरेशन लि०, ब्लाक-५, ३ तल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गाँधीनगर-382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि०, जनपद, भुवनेश्वर-751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि०, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर-337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, १९ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट ३ तल, कलकत्ता- 700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि०, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर०सी० देव मार्ग, जयपुर-302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रुम नं०-104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली-110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि०, विद्युत नगर, हिसार-126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि०, जी०पी०ए० कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्डौर।
29. निदेशक, जनरल ॲफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल डेवलपमेन्ट ॲफ कामर्स (सप्लाई ॲफ डिविजन) जीवन तरंग बिल्डिंग, ५-पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली-110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक—यथोपरि।

(आर०के० श्रीवास्तव)  
उप सचिव (कार्य)



CIN-U31200UP2003SGC027461

## कार्यालय

मुख्य अभियन्ता

जानपद क्षेत्र (वि०)

पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०,  
विद्युतनगर, पोस्ट-डी०एल०डब्ल्यू०(1) ४८(४) का १/१८  
Email: cecdpuvvnl@gmail.com

Mob-9450955000

वाराणसी

पत्रांक: /मु०अ०जा०ख० (वि०)/वा०/मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, दिनांक /2018

कार्यालय ज्ञापन

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि०), पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी के कार्यालय पत्रांक: ०२/वि०जा०ख० (वि०)/वा०/दिनांक 19.04.2018 के द्वारा मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच. ८/४-१५ए रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी (प्रो० श्री डी०एस० मिश्रा) से व्यापार निषिद्ध करने हेतु प्रेषित आख्या पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि०), वाराणसी के कार्यालय पत्र संख्या-113/वि०जा०म० (वि०)/वा०, दिनांक 21.04.2018 द्वारा संस्तुति की गयी है, आख्या निम्नवत है:-

(1)- मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच. ८/४-१५ए रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी (प्रो० श्री डी०एस० मिश्रा) विद्युत जानपद खण्ड (वि०), वाराणसी के अधीन वितरण कार्यालय एवं कलेक्शन सेन्टर, भेलूपुर, वाराणसी का कार्य अनुबन्ध संख्या-३९/२०१६-१७ के तहत कराया गया है, जिसके कार्य प्रारम्भ करने की तिथि १९.०९.२०१६ एवम् कार्य पूर्ण करने की तिथि १८.०१.२०१७ निर्धारित थी एवम् कार्य की अनुबन्धित लागत रु० १३,२८,०००.०० थी। कई बार अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता एवम् अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से निर्देशित करने के बावजूद उक्त फर्म द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की तिथि से लगभग ०९ माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त किसी तरह आधा अधूरा कार्य ही पूर्ण किया गया। तत्पश्चात उक्त फर्म द्वारा छोड़े गये कार्यों को DEBIATABLE एजेन्सी के रूप में मेसर्स सत्यम कन्सट्रक्शन, छित्पुर, जिला-वाराणसी से पूरा कराया गया।

(2)- मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच० ८/४-१५ए, रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी द्वारा अनुबन्ध संख्या-०४/२०१७-१८ के द्वारा प्रबन्ध निदेशक कार्यालय में फर्नीचर की आपूर्ति का कार्य कराया गया। छ: माह के सुरक्षा अवधि में ही आपूर्ति की गयी कई फर्नीचर में डिफेक्ट आ गए। उक्त कमियों को दूर करने हेतु संबंधित फर्म को कई बार मौखिक तथा लिखित रूप से निर्देशित किया गया। परन्तु फर्म द्वारा उक्त कमियों को दूर करने में कोई रुचि नहीं दिखाई गयी। फलस्वरूप उक्त कमियों को मार्केट से DEBIATABLE एजेन्सी के रूप में मेसर्स सिंह इन्टरप्राइजेज, सुन्दरपुर, वाराणसी के द्वारा दूर कराया गया।

(3)- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि०), वाराणसी के कार्यालय से प्राप्त पूर्व अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ है कि मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच० ८/४-१५ए, रामजानकी धाम कालोनी, जिला-वाराणसी द्वारा ३३/११ के०वी० विद्युत उपकेन्द्र करियॉव, जिला-सन्तरविदासनगर (भदोही) में आवंटित उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को समय से पूर्ण न करने के कारण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए बिलम्ब की धनराशि की वसूली समयवृद्धि मद में काटी गयी धनराशि से कर लिया गया था।

(4)- विद्युत जानपद खण्ड (वि०), वाराणसी के कार्यालय से प्राप्त अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ है कि मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज के प्रो० श्री डी०एस० मिश्रा द्वारा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के साथ दुर्व्यवहार करने, जानपदीय कार्यों में व्यवधान डालने के साथ-साथ निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने एवं विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की झूठी शिकायत करके परेशान करने की वजह से मा० न्यायालय

सं. १२४५ / अपर सचिव इलाहाबाद द्वारा अपने पारित आदेश रिट संख्या-सी० एन० ६८३७९-२०१३ के द्वारा बिना सं० स० सचिव (स०प्र०) / कार्य जांजः एवं प्रक्रिया/ सं०कायः आदिनी एवं विनियम/ य०ए०प्र०

क्रमशः पेज २/-

१०८८८-१०८८८

३५ शॉलैन्स अ०८८८८

सं० ३८१ (जारी/प्रक्रिया) २०/०४/२०१८

(2)

अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) के अनुमति के प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी कार्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित किया गया था। साथ ही साथ तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज को निगम स्तर पर काली सूची में डालने हेतु अपने पत्र संख्या-42/वि०जा०ख० (वि०)/शिकायत/कैम्प, दिनांक 22.03.2014 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) को संस्तुति भी की गयी थी।

उपरोक्त प्रेषित आख्या से स्पष्ट हो रहा है कि मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच० 8/4-15ए, रामजानकी धाम कालोनी, वाराणसी द्वारा पूर्व में आवंटित कार्यों को करने में कोई रुचि नहीं रही है एवम् कार्य न करके झूठा एवम् अनावश्यक रूप से पत्राचार करके निगम का समय बर्बाद किया जाता रहा है। साथ ही विभिन्न स्तरों पर झूठी शिकायत करके अधिकारियों को परेशान किया जाता रहा है।

अतः मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच० 8/4-15ए, रामजानकी धाम कालोनी, वाराणसी के प्रो० श्री डी०एस० मिश्रा को निगम कार्य हित के दृष्टिगत रखते हुए एतद्वारा 05 (पाँच) वर्ष तक व्यापार निषिद्ध करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(क०एम० राव)

मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०)

पत्रांक: /मु०आ०जा०क्ष० (वि०)/वा०/मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(क०एम० राव)

मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०)

पत्रांक: ६५८ /मु०आ०जा०क्ष० (वि०)/वा०/मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज/तददिनांक २६-०५-२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।  
(2) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल एवं केस्को।  
(3) निदेशक (तकनीकी/वित्त), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।  
(4) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि०), पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।  
(5) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि०) वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं पोल इकाई वाराणसी।  
(6) मेसर्स सूर्या इन्टरप्राइजेज, एस०एच० 8/4-15ए, रामजानकी धाम कालोनी, वाराणसी।

१५  
२६/६/२०१८

(क०एम० राव)

मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०)

पत्रांक: /मु030जा0क्षे0 (वि0)/वा०/मेसर्स सूर्य इन्टरप्राइजे०/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी।
- (2) जिलाधिकारी, वाराणसी।
- (3) कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- (4) कुलपति, समूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- (5) कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- (6) उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
- (7) नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
- (8) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण भवन, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (9) प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई भवन, सिंचाई विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
- (11) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- (12) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (13) संस्थान कार्य विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- (14) उ०प्र० स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेपलपमेंट कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।
- (15) उ०प्र० हाइसिंग एण्ड डेपलपमेंट बोर्ड, लखनऊ।
- (16) उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (17) जिला पंचायत राज अधिकारी, वाराणसी।
- (18) महाप्रबन्धक, डीजल रेल कारखाना, वाराणसी।
- (19) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण खण्ड-प्रथम/द्वितीय, वाराणसी।

(क०३० राव)

मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि०)